भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4952
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 23 मार्च, 2026
02 चैत्र, 1948 (शक)

तमिलनाडु में उत्खनन हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमोदन

4952. थिरु दयानिधि मारन:
श्री के. ई. प्रकाश:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 2025 में प्रस्तुत किए गए उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कीलाडी/कीझाडी, आदिचनल्लूर और नागपट्टिनम सहित आठ स्थलों पर पुरातत्वीय उत्खनन करने या जारी रखने की अनुमति मांगी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास लंबित हैं और यदि हां, तो नवम्बर, 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के अधीन हुई बैठक के बाद भी उक्त उत्खनन की अनुमति देने में विलंब के क्या कारण हैं;
(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्खनन संबंधी प्रस्तावों के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या प्रक्रियात्मक आपत्तियां उठाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में उत्खनन हेतु अनुकूल समय जनवरी से जुलाई तक रहता है और अनुमति प्रदान करने में विलंब के परिणामस्वरूप संबंधित फील्डवर्क करने हेतु वर्तमान अनुकूल समय समाप्त हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप पुरातत्वीय अनुसंधान में विलंब होगा; और
(ङ) क्या उत्खनन संबंधी अनुमोदन में विलंब के संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): कीलाडी/कीझाड़ी, आदिचनल्लूर और नागपट्टिनम सहित आठ स्थलों पर पुरातात्विक उत्खनन करने अथवा इसे जारी रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

(घ) और (ड.): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक उत्खनन हेतु समय पर अनुमति जारी करने के लिए राज्य के पुरातत्व विभागों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से प्राप्त उत्खनन प्रस्तावों की जांच करने के लिए तिमाही बैठकें करता है।
